न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2734–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–6–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, रायसेन प्रकरण कमांक 6/अ–70/11–12.

भगवान प्रसाद आत्मज देवीप्रसाद सिंह
निवासी ग्राम खण्डेरा
तहसील व जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– गणेशराम आत्मज रामप्रसाद
2– ईश्वरी प्रसाद आत्मज रामप्रसाद
3– पुरूषोत्तम आत्मज रामप्रसाद
निवासीगण ग्राम खण्डेरा
तहसील व जिला रायेसन
4– नायब तहसीलदार, रायसेन
5– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, रायसेन .....अनावेदकगण

श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसीलदार, रायसेन के समक्ष राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2007 के पालन करने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण

क्रमांक 6/अ–70/11–12 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23–6–14 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में निगरानी प्रचलित हुई है, जिसमें पुनः सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित रखना अवैधानिक एवं अनियमित है । यह भी कहा गया कि पूर्व में दिनांक 16–6–14 को आवेदन पत्र पर अंतिम तर्क के समय विचार किये जाने संबंधी आदेशिका लिखी गई थी एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया था, परन्तु बाद में काट–पीट की जाकर प्रकरण आवेदन पत्र पर आदेशार्थ सुरक्षित रखकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, उक्त कार्यवाही भी पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब सीमांकन ही निरस्त हो गया है, तब संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलित नहीं रखी जा सकती है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदक क्रमांक 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही रोकने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है । उक्त आवेदन पत्र अत्यधिक विलम्ब से अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 834–पीबीआर/05 में दिनांक 29–9–2007 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की गई है । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को कार्यवाही करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का यह विधिक

दायित्व था कि वे व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करते समय वरिष्ठ न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–6–2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए विचार कर आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर